बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

The Particulars of its organisation, function and duties
(Section-04 (1) b(1) of R.T.I Act. 2005)

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना जून, 1997 से राज्य के अन्तर्गत प्रारंभ की गयी है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। सभी चिन्हित अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

S. N0	Section	Particulars Every Public authority shall	
1.	Section 4(1)(a)	Maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act…….	लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(a) में निहित प्रावधानों के आलोक में सभी अभिलेखों को सूची पत्रित और अनुक्रमणिकावद करने की कार्रवाई की जा रही है।
2.	Section 4(1)(b)	Every Public authority shall publish No such Tab on the Website	
3.	Section 4(1)(b)(i)	The Particulars of its organisation, functions and duties	**विभागीय संरचना :–** **परिचय** :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य सचिवालय (मुख्यालय) स्तर से प्रखण्ड स्तर तक सम्पादित करने हेतु निम्नलिखित संरचना है :– **मुख्यालय स्थापना** :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना तथा क्षेत्रीय स्थापना से सम्बन्धित स्वीकृत पदों की विवरणी निम्न प्रकार है :– **स्थापना (मुख्यालय)** **पदनाम** — **स्वीकृत पद संख्या** प्रधान सचिव / सचिव (भा0प्र0से0) — 01 आरक्षी उपमहानिरीक्षक (आर्थिक अपराध)(भा0आ0से0) — 01 अपर सचिव / संयुक्त सचिव, भा0 प्र0 से0 — 01 अपर सचिव (वि0प्र0से0) — 01 संयुक्त सचिव (वि0प्र0से0) — 02 उप सचिव (वि0प्र0से0) — 01 उप सचिव (वि0स0से0) — 02

			अवर सचिव (वि0स0से0)	02
			प्रशाखा पदाधिकारी (वि0स0से0)	12
			सहायक	48
			सहायक प्रोग्रामर	01
			उच्च वर्गीय लिपिक	07
			निम्न वर्गीय लिपिक	07
			कम्प्यूटर डाटा इंट्री ऑपरेटर	02
			संकलक	03
			आपूर्ति लिपिक	05
			अभिलेखवाह	01
			चालक	02
			अनुसेवक	20
			लेखा पदाधिकारी	01
			प्रधान आप्त सचिव	01
			आप्त सचिव	02
			निजी सहायक	03
			आशुलिपिक	04
			आपूर्ति निरीक्षक	05
			पणन पदाधिकारी	05
			<u>उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय</u>	
			निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	01
			अवर सचिव	01
			प्रशाखा पदाधिकारी	04
			सहायक	12
			निजी सहायक	01
			चालक	01
			<u>विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्थापना की संरचना एवं प्रशासन</u> (क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विभागीय आपूर्ति कार्यो का संचालन एवं नियंत्रण सम्बन्धित जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं निरीक्षक सम्वर्ग के विभागीय आपूर्ति पदाधिकारियें के अधीन होता है। बिहार राज्य में एक मात्र अनुभाजन कार्यालय पटना में कार्यरत है। क्षेत्रीय स्थापना के विभागीय पदाधिकारियों के पदों की संरचना निम्नवत् है :– 1. उप निदेशक (खाद्य) – – 9 2. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी – पटना – 1 3. उप अनुभाजन पदाधिकारी – पटना – 1 4. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) – पटना – 1 5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी – 37 पद स्वीकृत ।	

			6. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक अनुभाजन पदाधिकारी – 101 पद स्वीकृत । 7. पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी– संवर्ग का कुल स्वीकृत बल– 316 8. आपूर्ति निरीक्षक का कुल स्वीकृत पद – 612 क्षेत्रीय स्थापना :– 1. कार्यालय अधीक्षक 23 2. प्रधान लिपिक 52 3. उच्च वर्गीय लिपिक 22 4. लिपिक/नि.व.लिपिक 309 5. आशुटंकक 07 6. टंकक 05 7. चालक 09 8. कैशियर 01 9. मुख्य लेखापाल 01 10. लेखापाल 11 11. सहायक लेखापाल 34 12. झाडूकश/पदचर/चौकीदार 131 ज्ञापांक–प्र01/सू0अधि072/05–391/आ0वा0 दिनांक –04.02.2006 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तत्कालीन खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग (समप्रति खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना) द्वारा क्षेत्रीय सूचनाओं के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया गया है। **1. पटना जिला** (I) शहरी क्षेत्र– विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–लोक सूचना पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी (II) ग्रामीण क्षेत्र– अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति)–लोक सूचना पदाधिकारी **2. पटना को छोड़कार बिहार राज्य के अन्य सभी जिला :–** (I) सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी–लोक सूचना पदाधिकारी (II) प्रत्येक जिला के मुख्यालय प्रखण्ड में पदस्थापित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी (III) सभी जिला के अपर समाहर्त्ता–अपीलीय पदाधिकारी

4.	**Section 4(1)(b)(ii)**	The Powers and duties of its officers and employees	The Department Work in according with the Provisions of rules of Executive Business and secretariat manuals/Instructions.
5.	**Section 4(1)(b)(iii)**	The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability	(1) Provisions of Secretariat Manual and Rules of executive Business are taken into account before taking a decision on any matter. (2) Matters are placed for decision at the Secretary level on the subjects for which he is authorised by Rules of Executive Business and Secretariat Manual. On all other matters the Minister takes the decision. A matter starts from the Section concerned and before being put up for decision to the Secretary it moves through two different levels of Officers. Two different levels of Officers could be any of the two from under Secretary, Deputy Secretary, Joint Secretary, Additional Secretary or Special Secretary. (3) Any Government decision which is required to be Communicated to the public is notified in the official gazette of Bihar. (4) Following employees & officer's opinions are sought before arriving at a decision by the competent authority (i) Assistant, (ii) Section Officer, (iii) Under Secretary/Deputy Secretary, (iv) Joint Secretary/Additional Secretary, (v) Secretary (5) Following authorities are competent to take decision as per provisions of Rules of Executive Business : (i) Secretary, (ii) Minister, (iii) Chief Minister, (iv) Council of Ministers.
6.	**Section 4(1)(b)(iv)**	The norms set by it for the discharge of its functions	The Department Work in according with the Provisions of rules of Executive Business and secretraiat manuals/Instructions.
7.	**Section 4(1)(b)(v)**	The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions	The rules and regulations, instructions and manuals etc. are as prescribed and published by the Ministry of General Administration Department, Bihar, Patna alongwith National Food Security Act, 2013, Essential Commodities Act and Bihar TPDS Control Order 2016.

<table>
<tr><td>8.</td><td>Section 4(1)(b)(vi)</td><td>A statement of the categories of documents that are held by it or under its control</td><td>Section of the Department hold different categories of relating to work allocated to then.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Section 4(1)(b)(vii)</td><td>The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof</td><td>Functioning of Food Department does not involve, formulation of policy relating tax issues.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Section 4(1)(b)(viii)</td><td>A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public</td><td>Consumer Forum (At District and State level), Vigilance Committee, Monitoring Committee (At Block, Sub-division, District and State level), District Grievance Redressal Officer, Bihar State Food Commission and orders passed by Bihar State Information Commission itself.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Section 4(1)(b)(ix)</td><td>A directory of its officers and employees</td><td>Available On Portal</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Section 4(1)(b)(x)</td><td>The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations</td><td>As directed by the Provision of Finance department Govt. of Bihar, Patna.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Section 4(1)(b)(xi)</td><td>The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made</td><td>वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित योजना
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>योजना का नाम / विषय (राज्य स्कीम)</th><th>2022–23 का मूल बजटीय उपबंध</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>लक्षित जन वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न तथा भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण (ग्रामीण गोदाम) (03–4408021010101)</td><td>10,00,00,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खाद्यान्न भंडारण गोदामों का निर्माण (नावार्ड सम्पोषित) (विपत्र कोड–03–4408021010102)</td><td>10,00,00,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			3	जिला आपूर्ति श्रृखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण, (03–4408020510101)	10,00,00,000
			4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (18–3456001020306)	2,00,00,00,000
			5	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) (18–3456007890302)	1,70,19,00,000
			6	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) (18–3456007960302)	10,64,00,000
			7	लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (18–3456001020105)	1,00,00,00,000
			8	निगरानी अनुश्रवण	16,05,00,000
			9	बी0पी0एल0 परिवारों को इकोनामिक दर पर खाद्यान्न की आपूर्त्ति (18–3456001030101)	1,000
			10	न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता (बोनस) (18–2408011010103)	1,000
			11	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यालय का आधुनिकीकरण (18–5475000510102)	3,00,00,000
			12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन गोदामों के पहुँच पथ का निर्माण (18–5475000510104)	22,00,17,000
			13	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ऋण (18–608011010101)	1,000
			14	गोदाम निर्माण, (नावार्ड संपोषित) (18–4408021010103)	1,50,00,00,000

			15	दाल अधिप्राप्ति सात निश्चिय–2 (18–2408011010104)	7,50,00,000
			16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य सुरक्षा भत्ता) (18–3456001020106)	2,00,00,000
			17	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अत्मनिर्भर भारत योजना (18–2408011010301)	52,32,80,000
			18	NFSA अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन विपत्र कोड–18–2408011010201	3,00,00,00,000
				कुलः–	**10,63,71,00,000**
14.	**Section 4(1)(b)(xii)**	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes	<u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013</u> राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 01.02.2014 से प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम के आलोक में वर्ष 2011 की सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC) के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार पात्र गृहस्थियों का चयन कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभ दिया जा रहा है। बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत आबादी एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत आबादी क्रमशः 783.74 लाख एवं 87.42 लाख कुल 871.16 लाख आबादी को आच्छादित किया जाना है। अधिनियम के अनुसार लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी इसमें शामिल होंगे। अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत पात्र गृहस्थी को 35 किलोग्राम (14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल) खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, जबकि पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के प्रत्येक लाभुकों को 5 (पाँच) किलोग्राम (2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल) की दर से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। गेहूँ एवं चावल का दर क्रमशः 2 (दो) एवं 3 (तीन) प्रति किलोग्राम निर्धारित है।		

15.	**Section 4(1)(b)(xiii)**	Particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it	Under Bihar TPDS Control Orders, 2016 licenses are issued to fair price dealers as permits and authorization.
16.	**Section 4(1)(b)(xiv)**	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form	Informations maintained earlier in Stock register, sale register and transaction records are now available in electronic form.
17.	**Section 4(1)(b)(xv)**	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use	No facility exists in this department.
18.	**Section 4(1)(b)(xvi)**	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers	Smt. Chandra kiran, Section officer-cum-Public Information Officer, Food and Consumer Protection Department, Patna, Bihar. Mob. No.-9431477178
19.	**Section 4(1)(b)(xvii)**	Such other information as may be prescribed, and thereafter update these publications every year	Contemporary Orders passed by Consumer Forum (At District and State level), District Grievance Redressal Officer, Bihar State Food Commission and by Bihar State Information Commission itself.
20.	**Section 4(1)(c)**	All relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public	विभाग के द्वारा विभिन्न माध्यमों से यथा–इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रभावित करने वाले विनिश्चय/नीतियाँ समय–समय पर प्रकाशित की जाती है।
21.	**Section 4(1)(d)**	Reasons for its administrative or quasi judicial decisions to affected persons.	अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रभावित व्यक्तियों को विनिश्चयों का कारण सहित अभिलेख/प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है।
22.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–04 का क्रियान्वयन, इसके तहत स्वउत्प्रेरण से सूचनाओं के प्रकटीकरण तथा सभी विभागीय आदेश website-https://State.bihar.gov.in/fcp/ पर upload किया जाता है।		